

**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा  
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-77/2021  
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1) (A) के अंतर्गत  
दिलीप सिंह एवं अन्य—विक्रेता

प्रति  
अमरदीप मिंज—क्रेता

**आदेश**

अमिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेतागण) (1) दिलीप सिंह (2) राजकुमार सिंह (3) कुलदीप सिंह (4) दिपनारायण सिंह (5) मंदीप सिंह सभी के पिता—स्व० छटु सिंह, ग्राम—कुशवार, पोस्ट—बैरिया, धाना—रमकण्डा, जिला—गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता अमरदीप मिंज, पिता—स्व० फुलजेंस मिंज, ग्राम—बैरिया, पोस्ट—बैरिया, धाना—रमकण्डा, जिला—गढ़वा को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन—पत्र दिया गया है उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रमकण्डा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर जाँच प्रतिवेदन की मांग कि गई।

अंचल अधिकारी, रमकण्डा के पत्रांक 47/दिनांक 25.02.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेतागण के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेतागण के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के जमाबंदी विक्रेतागण के पिता के नाम से मांग पंजी ॥ के पृष्ठ सं०-16/1 पर मांग चलता है। विक्रेतागण जाति के खरवार ( अनुसूचित जनजाति) एवं क्रेता जाति के उरांव (अनुसूचित जनजाति) के सदस्य है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों एक ही धाना रमकण्डा एवं जिला गढ़वा के निवासी है। विक्रेतागण प्रस्तावित भूमि को विक्री करने के पश्चात भूमिहीन नहीं होते है। प्रस्तावित भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा एवं सार्वजनिक उपयोग इत्यादि से मुक्त है प्रस्तावित भूमि आवेदकगण (विक्रेतागण) के दखल—कब्जे में है


अतः अंचल अधिकारी, रमकण्डा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर आवेदकगण (विक्रेतागण) (1) दिलीप सिंह (2) राजकुमार सिंह (3) कुलदीप सिंह (4) दिपनारायण सिंह (5) मंदीप सिंह सभी के पिता—स्व० छटु सिंह, ग्राम—कुशवार, पोस्ट—बैरिया, धाना—रमकण्डा, जिला—गढ़वा के द्वारा क्रेता अमरदीप मिंज, पिता—स्व० फुलजेंस मिंज, ग्राम—बैरिया, पोस्ट—बैरिया, धाना—रमकण्डा, जिला—गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत विक्री द्वारा हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।


**भूमि का विवरण—**

ग्राम	धाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
बैरिया	15	पुराना-06 नया-16	पुराना-23 नया-195	0.32	उ०-रामसूरत पासवान,
		पुराना-06 नया-16	पुराना-32,33 नया-202	0.10	द०-सामिल मिंज,
		पुराना-06 नया-16	पुराना-32,33 नया-262	0.76	पू०-बांध,
		पुराना-06 नया-16	पुराना-33 नया-263	0.32	प०-विशुन पासवान,
		पुराना-06 नया-16	पुराना-32 नया-203	0.12	
<b>कुल रकबा—</b>				<b>1.62</b>	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं सशोधित।

  
अपर समाहर्ता  
गढ़वा

  
अपर समाहर्ता  
गढ़वा